भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

यह ... श्री मातृत्व ... हॉस्पिटल ...
सेवा संस्थान ... 1540 ...
जि. लखनऊ
... 20/4/... ... है।

फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

मातृत्व हॉस्पिटल एण्ड
पैरामेडिकल कॉलेज
सेक्टर-..., ...पुरम, लखनऊ

Scanned with ACE Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय [illegible]

सेवा [illegible]

[illegible]

[illegible]

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

हॉस्पिटल एण्ड

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

यह [illegible] आर्तव [illegible] निरा[illegible]

सेवा संस्थान [illegible]

जिला [illegible] 1347/37

के [illegible] [illegible] है

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

सहायक

[illegible] रजिस्ट्रार

[illegible] तथा चिट्स

[illegible]

मातृत्व हॉस्पिटल एण्ड
पैरामेडिकल कॉलेज
सेक्टर–जे, जानकीपुरम्, लखनऊ

Scanned with ACE Scanner

भारतीय ज्ञान विज्ञान सेवा संस्थान

ए–1341/12, इन्दिरानगर जिला–लखनऊ
की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2014–2015

क्र0सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	डा0 विशाल गुप्ता पुत्र चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता	सी–2911, राजाजीपुरम जिला लखनऊ	अध्यक्ष	डाक्टर
2	श्री विनय सिंह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह	भागीपट्टी गोपालगंज (बिहार)	उपाध्यक्ष	खेती
3	श्री जैनेन्द्र कु0 शाही पुत्र श्री ए0पी0 शाही	ग्राम व पोस्ट–पैकोली महराज देवरिया(उ0प्र0)	सचिव	खेती
4	श्री विजय कुमार पाल पुत्र श्री राजेश्वर पाल	सोभनपार, महदेवा चौराहा बस्ती (उ0प्र0)	उपसचिव	खेती
5	श्री अमर शाही पुत्र श्री के0 शाही	ग्राम व पोस्ट–पैकोली महराज देवरिया(उ0प्र0)	कोषाध्यक्ष	खेती
6	श्री बृजेश सिंह पुत्र श्री ए0के0 सिंह	सलेमपुर बस्ती देवरिया (उ0प्र0)	लेखा परीक्षक	खेती
7	श्री ऋषि प्रताप चौधरी पुत्र श्री आर0के0 चौधरी	मोहल्ला–नाथनगर खलीलाबाद (उ0प्र0)	सदस्य	खेती
8	श्री सुनील ओली पुत्र श्री राम ओली	ग्राम व पोस्ट–पिथौरागढ़ उत्तरांचल	सदस्य	खेती
9	श्री सुमित सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह	मोहल्ला–गांधीनगर जमशेदपुर (बिहार)	सदस्य	खेती
10	श्री विनय कुमार गुप्त पुत्र श्री राम नरायन	बोकारो,स्टील प्लांट एरिया बोकारो, (झारखण्ड)	सदस्य	व्यापार
11	श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री अशोक सिंह	ग्राम–शाहपुर, आवास विकास गोरखपुर (उ0प्र0)	सदस्य	गृहणी

हस्ताक्षर भू0पूर्व के — Ved Prakash Misra

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर
1– Vishal
2– [signature]
3– Amar Shahi
4– विजय कुमार पाल

मातृत्व हॉस्पिटल एण्ड
पैरामेडिकल कॉलेज
सेक्टर–जे, जानकीपुरम्, लखनऊ

Scanned with ACE Scanner

संशोधित स्मृति पत्र

(1) संस्था का नाम :: भारतीय ज्ञान विज्ञान सेवा संस्थान।
(2) संस्था का पता :: ए–1341/12, इन्दिरानगर जिला–लखनऊ।
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
(4) संस्था के उद्देश्य

1–कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निवासियों का सामाजिक,मानसिक,नैतिक,चारित्रिक,शैक्षिक,बौद्धिक विकास करना।

2–शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाएं/विद्यालय की स्थापना करना तथा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा व्यवस्था करना।

3–गाँवों/शहरों में कृषिधन, पशुपालन, कुटीर उद्योग एवं विकासोपयोगी कार्यक्रमों का संचालन करना।

4–नागरिकों के स्वास्थ्य हेतु विभिन्न प्रकार के निःशुल्क अस्पताल खोलना तथा असहाय लोगों की सेवा करना।

5–समाज कल्याण विभाग उ0प्र0,केंद्रीय एवं राज्य समाज कल्याण/सलाहकार बोर्ड,कपार्ट व मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महिला व बाल कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना। कार्यक्रम संचालन के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करना एवं जनहित में विदेशी अभिदान भी स्वीकार करना।

6–कृषकों को जानकारी दिलाना तथा आधुनिक तकनीकियों द्वारा कृषि उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दिलाना।

7–ज्ञान वर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।

8–समाज के असहाय,निराश्रित,विकलांग,बालश्रमिकों,मुकबधिरों,विधवाओं के लिए आवासीय व्यवस्था कराना

9–दैवी आपदाओं जैसे बाढ़,सूखा, आगजनी, भूकम्प आदि के समय पीड़ित लोगों की हर सम्भव सहायता करना,जिससे सामाजिक समरसता उत्पन्न हो सकें।

10–समाजिक कुरीतियों जैसे नशा, बाल, विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास,छूआछूत आदि के उन्मूलन हेतु प्रयास करना।

11–समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यकम, विचार गोष्ठी सेमिनार, सम्मेलन प्रशिक्षण शिविर आदि का आयोजन करना, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता कायम हो सकें।

12–महिलाओं एवं युवकों के विकास हेतु सिलाई व कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र,शार्ट हैण्ड, टाईप कम्प्यूटर प्रशिक्षण,मुर्गी पालन,पशुपालन तथा स्वरोजगार परक प्रशिक्षण का आयोजन करना।

(सत्यप्रतिलिपि)

हस्ताक्षरः:

1- Vishal

2- [illegible]

3- Aman Shali

4- [illegible]

मातृत्व हॉस्पिटल एण्ड
पैरामेडिकल कॉलेज
सेक्टर–जे, जानकीपुरम, लखनऊ

Scanned with ACE Scanner

नियमावली

(1) संस्था का नाम :: भारतीय ज्ञान विज्ञान सेवा संस्थान।
(2) संस्था का पता :: ए–1341/12, इन्दिरानगर जिला–लखनऊ।
(3) संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

(4) **संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :**

संरक्षक सदस्य::

जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक मुश्त रू0 5000.00(रूपया पांच हजार मात्र) नगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा, वह संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा।

आजीवन सदस्य ::

वह व्यक्ति जो संस्था को निस्वार्थ भाव से एक मुश्त रू0 1000/(रूपया एक हजार) नगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति देगा वह आजीवन सदस्य होगा।

सामान्य सदस्य ::

जो व्यक्ति सदस्यता शुल्क के रूप में रू0 100/(रूपया एक सौ) वार्षिक देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

(5) **सदस्यता की समाप्ति::**

1– मृत्यु हो जाने पर।
2.– पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3– संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4– अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
5– नियमिति रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
6– लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
7– नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

(6) **संस्था के अंग ::**

(अ) साधारण सभा।
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

(7) **साधारण सभा ::**

गठन ::

संस्था के आजीवन,सामान्य व संरक्षक सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें::

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार,सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि ::

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति ::

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

Scanned with ACE Scanner

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि ::

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य ::

1–प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2–संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3–संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4–संस्था के नियमों में संशोधन प्रकिया करना।

(8) प्रबन्धकारिणी समिति ::

गठन ::

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, जिसमें–अध्यक्ष–एक उपाध्यक्ष–एक,सचिव–एक,उपसचिव एक, कोषाध्यक्ष–एक, आय–व्यय निरीक्षक–एक, तथा अन्य पाँच सदस्य होगें, इस प्रकार पदाधिकारियों सहित प्रबन्ध समिति की कुल संख्या 11 होगी।

बैठकें ::

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति

प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत आवश्यक होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति ::

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेषकाल के लिये की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य ::

1–प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव साधारण सभा द्वारा प्रति पाँचवे साल करना।
2–संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
3–संस्था का वार्षिक रिपोर्ट व वार्षिक बजट तैयार करना।
4–समिति द्वारा संचालित संस्थाओं एवं उपसमितियों का प्रबन्ध करना तथा इनकी सम्पत्ति की देख–रेख करना।
5–उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, अर्धसरकारी विभागों,व्यवसायिक,प्रतिष्ठानों,बैंकों समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0,केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड कपार्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग कमीशन, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग एवं अन्य समाज सेवी संस्थाओं, दानशील व्यक्तियों व अन्य श्रोतों से ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा विदेशी अभिदान स्वीकार करना।

जैनेन्द्र कुमार शाही
Shahi
विजय कुमार पाल

मातृत्व हॉस्पिटल एण्ड
पैरामेडिकल कॉलेज
सेक्टर–जे, जानकीपुरम्, लखनऊ

Scanned with ACE Scanner

कार्यकाल ::

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच साल का होगा। प्रत्येक पाँच वर्ष पर नया चुनाव होगा, नये निर्वाचन तक पुरानी समिति कार्य करती रहेगी।

ऋण अदायगी का सामूहिक दायित्व

1–यदि संस्था उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन व राष्ट्रीकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करती है, तो उसकी सुरक्षा व अदायगी के लिए प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्य व पदाधिकारी सामूहिक रूप/व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें और जब तक सम्पूर्ण ऋण की अदायगी नहीं हो जाती,दायित्व बना रहेगा चाहे व सदस्यता से अलग हो जायें।

2–संस्था द्वारा जिस मद के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त की जायेगी,उसकों उसी मद में लगाया जायेगा।

(9) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य ::

अध्यक्ष ::

1–समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।

2–बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन करना,परिवर्तन करना और बैठकों का स्थगित करना।

3–समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

4–बैठकों में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा लिखित अधिकार पत्र पर अध्यक्ष के अधिकार का उपयोग करना।

सचिव

1–संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।

2–प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।

3–पारित बजट के अंतर्गत व्यय की स्वीकृति देना।

4–समस्त बिल व बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

5–राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना।

6–आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति,निष्कासन,पदोन्नति व वेतन वृद्धि करना।

7–संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।

8–बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।

9–बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना।

10–सदस्यों की सदस्यता हेतु स्वीकृति देना

11–संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना।

12–संस्था की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना और उस पर नियंत्रण करना।

13–समिति की स्वीकृति को प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।

14–संस्था के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

15–बैंक खाते का संचालन करना।

मातृत्व हॉस्पिटल एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज
सेक्टर–जे, जानकीपुरम्, लखनऊ

उपसचिव

सचिव की अनुपस्थिति में कार्य करना और कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

कोषाध्यक्ष ::

1–आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना।

2–सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

3–दान, चन्दा प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना।

आय–व्यय निरीक्षक

कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना व सहयोग देना संस्था के आय व्यय का निरीक्षण करना तथा उसकी रिपोर्ट समिति की बैठक में प्रस्तुत करना।

(10) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया ::

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों में संशोधन परिवर्तन किया जायेगा।

(11) संस्था का कोष ::

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा जो सचिव तथा अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा

(12) संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) ::

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष एक सुयोग्य सनदी लेखाकार द्वारा आय–व्यय निरीक्षक सानिध्य में कराया जायेगा।

(13) संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ::

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व सचिव पर होगा या सचिव द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा

(14) संस्था के अभिलेख ::

1–सदस्यता पंजिका।

2–कार्यवाही पंजिका

3–भण्डार पंजिका

4–रोकड़ आदि

(15) संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर :

1– Vishal

2– [illegible]

3– [illegible]

4– [illegible]

मातृत्व हॉस्पिटल एण्ड
पैरामेडिकल कॉलेज
सेक्टर–जे, जानकीपुरम्, लखनऊ